न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), नवलगढ
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 134 / 2013

1. नानड़ पुत्र धीराराम (मृतक)
   1/1 राजेन्द्र सिंह पुत्र नानड़
   1/2 दशरथ सिंह पुत्र नानड़
2. रामप्रसाद पुत्र रूड़ाराम
   जाति जाट निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

—— वादी

बनाम

1. झिमली पत्नि बोदूराम हाल झिमली पत्नि प्रभात जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढाणी, तन बेरी तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
2. श्योकोरी पत्नि पूरा हाल श्योकोरी पत्नि पितराम जाति जाट निवासी दूड़िया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
3. रामसिंह उर्फ रामनिवास पुत्र स्व. श्री रूड़ा जाति जाट निवासी हाल दूड़िया तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
4. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
5. उप पंजियक, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

—— प्रतिवादीगण

दावा :– घोषणार्थ, विभाजन, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 3 व 6 – एकपक्षीय
वकील प्रतिवादी 4 व 5 – राज. पैरोकार

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 7.1.2025

वाद, वादी इस कदर पेश किया गया कि ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 1.0300 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 0.7100 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 969 रकबा 0.7600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर स्थित है उक्त भूमि [illegible] नम्बर 2 में वर्णित वंशावली अनुसार स्वर्गीय धीराराम की खातेदारी काश्त की [illegible] उक्त धीराराम व उसकी पत्नि ने अपने जीवनकाल में किसी को कोई वसीयत [illegible] की थी उक्त दोनो निवसीयत फौत हुये थे उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अ[illegible] व्यक्तिगत कानून के अनुसार उसके विधिक वारिसो में [illegible]: ही बहिस्सा नियमित हो[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:21 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

है । स्वर्गीय धीराराम के पांचो पुत्रो में भूमि निगमित हो गई । स्वर्गीय धीराराम के एक पुत्र रामकरण जो अविवाहित था उसकी मृत्यु भी निवसीयत ही हुई जो रामकरण के फौत होने पर उतराधिकार में उनके सगे भाईयो में स्वतः ही बहिस्सा निगमित हो गई ।

स्वर्गीय धीराराम के पुत्र बोदूराम का विवाह प्रतिवादी नम्बर 1 झिमली के साथ हुआ था तथा दूसरे पुत्र पूराराम का विवाह प्रतिवादी संख्या 2 श्योकोरी के साथ हुआ था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, बोदूराम के जीवनकाल में ही प्रभात पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढाणी, बेरी के साथ विवाह कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रभात पति – पत्नि के रूप में रहे है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने पूराराम के जीवनकाल में ही पितराम पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी दुड़िया के साथ शादी कर ली और दोनो पति – पत्नि के रूप में रहे । प्रतिवादी संख्या 2 व पितराम के सहवास से रामसिंह पुत्र रामनिवास पैदा हुए जो प्रतिवादी संख्या 3 है ।

बोदूराम व पूराराम की स्त्रीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने पतियो को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया ओर उक्त बोदूराम व पूराराम की निवसीयत ही मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के तमाम दस्तावेजात में उनके पति प्रभात व पितराम के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पिता के नाम में पितराम दर्जशुदा है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त नही किया क्योकि पति की मृत्यु से पूर्व ही उक्त दोनो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने – अपने ससुराल जाकर रहने लग गयी और स्वर्गीय बोदूराम व पूराराम की मृत्यु निवसीयत ही हुयी । स्वर्गीय धीराराम की पैत्रिक सम्पति में उसके दोनो पुत्र पूराराम व बोदूराम जो निवसीयत ही फौत हो गये उनके हक अधिकार की सम्पति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है ।

उक्त बोदूराम व पूराराम के निवसीयत फौत होने पर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित सम्पति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम गलत राजस्व रिकार्ड रिकार्ड के आधार पर दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हो गया जिसको दुरूस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत हुआ है।

वादग्रस्त भूमि का कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है इसलिए वादी द्वारा विभाजन का वाद व गलत राजस्व रिकार्ड के बन जाने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत किया गया ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर दिनांक 29.10.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब दावा मय वकालतनामा प्रस्तुत हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर दिनांक 20.2.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । प्रतिवादी संख्या 1 को बार – बार साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अनेको अवसर प्रदान किये गये अन्त में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही कर स्वयं को एकपक्षीय कार्यवाही करने की कहने पर साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक [illegible] को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की [illegible] वादी में वादी रामप्रसाद, राजेन्द्र के बयान लेखबद्ध किये [illegible] 1 लगायत 10 प्रदर्शित करवाये है जिनमें प्रदर्श –1 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श –2 [illegible] जमाबन्दी, प्रदर्श –3 नकल जमाबन्दी, प्रदर्श –4 खादय एवं नागरिकता आपूर्ति प्रदर्श –5 राशन कार्ड, प्रदर्श –6,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:21 IST
Reason: SelfAttested

वोटरलिस्ट, प्रदर्श –7 राशन कार्ड, प्रदर्श –8 राशन कार्ड का विवरण, प्रदर्श –9 राशन कार्ड का विवरण, प्रदर्श –10 वोटर लिस्ट प्रदर्शित करवाये गये है ।

वकील वादी द्वारा बहस एकपक्षीय करने पर बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया व शपथ पत्र के आधार पर यह भलीभांति साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का वादग्रस्त भूमि से कोई ताल्लुक नही है । वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय धीराराम की पैत्रिक सम्पति रही है जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 1/2 – 1/2 घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा गलत रूप से दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

–: आदेश:–

लिहाजा वाद, वादीगण स्वीकार किया जाता है, कि ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 1.0300 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 0.7100 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 969 रकबा 0.7600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर का वादीगण संख्या 1 (1/1, 1/2) व 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/2 – 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 7.1.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुशील कुमार सैनी)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:21 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास, नवलगढ

श्री सुशील कुमार सैनी (आर0ए0एस0) सहायक कलेक्टर, नवलगढ

मुकदमा नम्बर 134 / 2013

दिनांक: 7.1.2025

(नानड़ (मृतक) बनाम झिमली वगैरह)

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री सुशील कुमार सैनी (आर0ए0एस0) सहायक कलेक्टर, नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब – मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है ।

वाद, वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 1.0300 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 0.7100 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 969 रकबा 0.7600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर का वादीगण संख्या 1 (1/1, 1/2) व 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/2 – 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें ।

जन ..... मुबलिग ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह .....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करे ।

बस्वत मेरे दसतख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 7. माह 1 सन् 2025 को जारी की गई ।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:22:21 IST
Reason: SelfAttested